संख्या- /2017/ /पॉच-6-16-10(उपकरण)/15

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक : 30 जनवरी, 2017

विषयः- प्रदेश के 55 राजकीय चिकित्सालयों में स्थित आर्थोपैडिक विभाग के उच्चीकरण/सुदृढीकरण हेतु उपकरणों के क्रय के लिये अनुदान संख्या-32 के अन्तर्गत 06 उपकरणों की पुनरीक्षित प्रशासनिक/ स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (भण्डार) के पत्र संख्या-8फ/क्यू.सी.-786/8532, दिनांक 16.12.2016 व शासनादेश संख्या-36/2016/3318/पॉच-6-15-10(उपकरण)/15, दिनांक 09.02.16 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 09.02.16 द्वारा 55 राजकीय चिकित्सालयों में स्थित आर्थोपैडिक विभाग के उच्चीकरण/सुदृढीकरण हेतु अनुदान संख्या-32 के अन्तर्गत संलग्न तालिका के कालम-2 में उल्लिखित विवरणानुसार 06 उपकरणों के क्रय के लिये उच्च स्तरीय परीक्षण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर निदेशक (भण्डार) द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार संलग्न तालिका के कालम-7 में उल्लिखित विवरणानुसार कुल रू0-3,42,98,332.26 (रूपया तीन करोड़ बयालिस लाख अठानबे हजार तैतीस सौ बत्तीस पैसे छब्बीस मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल, निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत उपकरणों का क्रय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 व शासनादेश संख्या-36/2016/3318/पॉच-6-15-10(उपकरण)/15, दिनांक 09.02.16 में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा और उक्त शासनादेश में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि आवंटित की गयी है, इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन शासन की अनुमति लेकर ही किया जायेगा।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना इससे पूर्व अथवा भविष्य में किसी अन्य योजना के वित्त पोषण से नहीं किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत उपकरणों की गुणवत्ता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग/क्रयाधिकारी का होगा ।

(5) प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि इनके रखने हेतु पर्याप्त उचित स्थान एवं इनके संचालन हेतु दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध है।

(6) प्रश्नगत उपकरणों हेतु क्रय प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण किया जाएगा ।

(7) धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा, यदि धनराशि अवशेष रहती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।

(8) इस सबंध में लेखों का मिलान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद से करके इसकी सूचना यथा समय शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या-48 /2017/3074(1)/पाँच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) संबंधित जिलाधिकारी।
(4) संबंधित कोषाधिकारी/कोषागार ।
(5) अपर निदेशक (नियोजन/बजट/विद्युत)/निदेशक (चिकित्सा उपचार/भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0, लखनऊ ।
(7) संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
(8) संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन ।
(10) कार्यालय आदेश पुस्तिका ।
(11) प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
(12) विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से,

(राम नगीना मौर्य)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या- 48 /2017/3074/पाँच-6-16-10(उपकरण)/15 तददिनांक 30 जनवरी, 2017 का संलग्नक

(धनराशि रूपया में)

क्र. सं	उपकरण का नाम	कुल प्रस्तावित उपकरणों की संख्या	शासनादेश दिनांक 09.02.16 द्वारा स्वीकृत अनुमानित लागत उपकरण प्रति नग	शासनादेश दिनांक 09.02.16 द्वारा स्वीकृत कुल अनुमानित लागत	उच्च स्तरीय परीक्षण समिति द्वारा अनुमोदित प्रति उपलब्ध लागत	उच्च स्तरीय परीक्षण समिति द्वारा अनुमोदित उपकरणों की कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	General Orthopedic Surgery Sets	71	250000	17750000	182366.10	12947993.10
2	Interlocking Sets	72	225000	16200000	142123.28	10232876.16
3	Osteome Sets	56	25000	1400000	11812.50	661500.00
4	Chissel Sets	56	25000	1400000	11812.50	661500.00
5	DHS Sets	50	40000	2000000	39459.00	1972950.00
6	Plating Sets	67	20000	1340000	116739.00	7821513.00
			Total	40090000		34298332.26

(रूपया तीन करोड़ बयालिस लाख अठानबे हजार तैतीस सौ बत्तीस पैसे छब्बीस मात्र)

(राम नगीना मौर्य)
संयुक्त सचिव।